[आर**.** भानुमति और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 34-अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी सं. को <आई. डी. 1,00,000/- का ऋण दिया।1 – प्रत्यर्थी सं।2, 4 और 5 से 8 गारंटर थे-स्वामित्व विलेख जमा करने के साथ बंधक द्वारा सुरक्षित ऋण और प्रत्यर्थी सं।1 कहा जाता है कि उसने ऋण के पुनर्भुगतान के लिए एक मांग वचन पत्र निष्पादित किया है-पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए समझौते में मध्यस्थता खंड-कथित रूप से, प्रत्यर्थी नं।1 ऋण का भुगतान नहीं किया-तीसरे प्रतिवादी-मध्यस्थ को मध्यस्थता के लिए संदर्भित विवाद-मध्यस्थ ने अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थीओं को ब्याज के साथ Rs.63,82,802/- का भुगतान करने का निर्देश दिया-प्रतिवादी संख्या।1 2008 यू/एस का ए. एस. नंबर 1 दाखिल किया गया।34 जिला न्यायाधीश के न्यायालय में-प्रत्यर्थी सं।1 & 2 आवेदन यू/एस भी दायर किया।151, सी. पी. सी. ने प्रत्यर्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दी-खारिज-उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश को अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थी संख्या की अनुमति देने का निर्देश दिया।1 & 2 अपने गवाहों के शपथ पत्र दाखिल करने और आगे उनकी प्रतिपरीक्षा की अनुमति देने के लिए-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाःकार्यवाही यू/एस।34 ये संक्षिप्त प्रकृति के होते हैं और नियमित मुकदमे की प्रकृति के नहीं होते हैं-यू/एस की कार्यवाही में जांच का दायरा।34 एस में उल्लिखित आधारों में से कोई भी विचार करने तक सीमित है।34(2) या एस।13(5) या एस।16(6) पुरस्कार को अलग रखने के लिए बनाया जाता है-पुरस्कार को अलग रखने के लिए आधार विशिष्ट हैं -एस. 34 आवेदन के लिए सामान्य रूप से उस अभिलेख से परे कुछ भी आवश्यक नहीं होगा जो मध्यस्थ के समक्ष था और शपथ पत्रों में शपथ लेने वाले व्यक्तियों से जिरह की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो-वर्तमान मामले में, साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता/प्रासंगिकता के बारे में कोई आधार नहीं बनाया गया था और प्रत्यर्थी संख्या द्वारा दिए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति क्या थी।1 & 2 – मध्यस्थता कार्यवाही में, पक्षों के पास मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर था-आवेदन में आग्रह किए गए आधारों पर मध्यस्थता कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य और मध्यस्थता पुरस्कार पर विचार करके बहुत अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है-उच्च न्यायालय ने ध्यान में नहीं रखा

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

637 ए.

638 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 15 एस. सी. आर.

वह प्रत्यर्थी संख्या।1 & 2 यह आधार नहीं बनाया कि उन्हें आवेदन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना एक असाधारण मामला था।34 – विवादित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-आवेदन को खारिज करने वाला जिला न्यायाधीश का आदेश।151, 2008 के ए. एस. नं. 1 में सी. पी. सी. ने पुष्टि की-जिला न्यायाधीश 2008 के ए. एस. नं. 1 पर विचार करेंगे और कानून-सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अनुसार इसका तेजी से निपटारा करेंगे। s.151-कर्नाटक उच्च न्यायालय मध्यस्थता (न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही) नियम, 2001 - आर. 4 (बी)-भारत का संविधान-कला।226 और 227-मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019।

बी.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 -धारा 34 (5), (6)-आयोजितःउप-एस. एस. जोड़कर।(5) & (6) से एस।34, अधिनियम ने आवेदन के निपटारे के लिए एक वर्ष की समय अवधि निर्दिष्ट की है।34 – उद्देश्य विलंब से बचना और आवेदन का शीघ्र निपटान करना है-मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2015।

सी.

अपीलों को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

डी.

पकड़नाः**1.1** मध्यस्थता और सुलह अधिनियम**, 1996** की धारा **34** के तहत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है।अधिनियम की धारा **34** के तहत कार्यवाही में जांच का दायरा इस विचार तक सीमित है कि क्या धारा **34 (2)** या धारा **13 (5)** या धारा **16 (6)** में उल्लिखित किसी भी आधार को पुरस्कार को रद्द करने के लिए बनाया गया है।पुरस्कार को अलग रखने के लिए आधार विशिष्ट हैं।मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए यह अनिवार्य है कि

अधिनियम की धारा **34** के तहत मध्यस्थता मामलों का निर्णय केवल मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए अभिवचनों और साक्ष्य और अधिनियम की धारा **34 (2)** के तहत निर्दिष्ट आधारों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। कर्नाटक उच्च न्यायालय मध्यस्थता **(**न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही**)** नियम**, 2001** के नियम **4 (**बी**)** में यह प्रावधान किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की सभी कार्यवाहियां अधिनियम की धारा **14** या **34** के तहत दायर ऐसी कार्यवाहियों/आवेदन पर लागू होंगी**,** जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है**,** वे केवल प्रक्रियात्मक हैं।**[**पैरा **9,10] [643-**ई**-**एच**; 644-**ए**-**बी**]**

ई.

एफ.

जी.

1.2 फिज़ा डेवलपर्स में फैसले का उल्लेख करने के बाद**,** विवादित फैसले में**,** उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्यर्थी **Nos.1** और **2** को अधिनियम की धारा **34 (2) (**ए**)** में निर्धारित आधारों को साबित करने के लिए अपने मामले के प्रमाण में अपने और अपने गवाहों के हलफनामे दायर करने का अवसर दिया जाना चाहिए। निर्णय के बाद ए

एच.

639

मेसर्स केनरा निधि लिमिटेड बनाम एम. शशिकल और अन्य ए

फिज़ा डेवलपर्स में**,** धारा **34** को **2016** के अधिनियम **3** द्वारा संशोधित किया गया था जिसके द्वारा धारा **34** की उप**-**धाराओं **(5)** और **(6)** को प्रधान अधिनियम डब्ल्यू**.** ई**.** एफ**.** में जोड़ा गया था।न्यायमूर्ति बी**.** एन**.** श्रीकृष्णा समिति द्वारा विचार किए गए फिज़ा डेवलपर्स के फैसले में मध्यस्थता तंत्र के संस्थागतकरण की समीक्षा की गई और बताया गया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा **34** के तहत कार्यवाही में सबूत प्रस्तुत करने के अवसर ने असंगत प्रथाओं को जन्म दिया है।न्यायमूर्ति बी**.** एन**.** श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट के आधार पर**,** मध्यस्थता और सुलह **(**संशोधन**)** अधिनियम**, 2019** द्वारा प्रधान अधिनियम की धारा **34** में संशोधन किया गया है।**[**पारस **13-16] [645-H; 646-A-B-E; 647-B-C]**

बी.

सी.

1.3 धारा **34** के आवेदन में सामान्य रूप से मध्यस्थ के समक्ष मौजूद अभिलेख से परे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी और शपथ पत्र में शपथ लेने वाले व्यक्तियों से

जिरह की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो।धारा **151** सी**.** पी**.** सी**.** के तहत दायर आवेदन के साथ प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर हलफनामे से यह संकेत नहीं मिलता है कि पहला प्रत्यर्थी किस बिंदु पर प्रस्तुत करना चाहता है**,** सिवाय इसके कि पहला प्रत्यर्थी विवाद के विषय से संबंधित अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है। हलफनामा विशिष्ट दस्तावेजों या प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक साक्ष्य का खुलासा नहीं करता है**,** सिवाय इसके कि पहली प्रत्यर्थी अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का इरादा रखती है या अन्यथा पहली प्रत्यर्थी को अधिनियम की धारा **34** के तहत उसके द्वारा दायर मध्यस्थता मुकदमे में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पेश किए जाने के लिए मांगे गए अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता और प्रासंगिकता के बारे में हलफनामे में कोई विशिष्ट कथन नहीं हैं। आवेदन में आग्रह किए गए आधारों पर मध्यस्थता कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य और मध्यस्थता पुरस्कार पर विचार करके बहुत अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है।इसके अलावा**,** प्रत्यर्थी **Nos.1** और **2** द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए दायर आवेदन में**,** साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता और प्रत्यर्थी **Nos.1** और **2** द्वारा दिए गए साक्ष्य की प्रकृति के बारे में कोई आधार नहीं बनाया गया था।अधिनियम की धारा **34** के तहत कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और नियमित मुकदमे की प्रकृति में नहीं है।अधिनियम की धारा **34** में उप**-**धारा **(5)** और **(6)** जोड़कर**,** अधिनियम ने अधिनियम की धारा **34** के तहत आवेदन के निपटारे के लिए एक वर्ष की समय अवधि निर्दिष्ट की है। धारा **34** की उप**-**धारा **(5)** और **(6)** का उद्देश्य धारा **34** के तहत दायर मामले के निपटारे के लिए समय सीमा तय करना।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

मध्यस्थता अधिनियम**, 1996** विलंब से बचने और अधिनियम की धारा **34 (5)** में निर्दिष्ट सूचना दूसरे पक्ष को दिए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन का शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में निपटान करने के लिए है।मध्यस्थता कार्यवाही में**,** पक्षों के पास मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर था।उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि प्रत्यर्थी **Nos.1** और **2** ने यह आधार नहीं बनाया है कि उन्हें अधिनियम की धारा **34** के तहत आवेदन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना एक असाधारण मामला है। उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश मध्यस्थ द्वारा तय किए गए मुद्दों के

गुण-दोष पर फिर से सुनवाई करने के बराबर हैं।जब प्रत्यर्थी **Nos.1** और **2** द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश में विकृति नहीं होती है**,** तो उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद **226** और **227** के तहत अपनी पर्यवेक्षी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए**,** जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था और विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।नतीजतन**,** उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।सी**.** पी**.** सी**.** की धारा **151** के तहत दायर आवेदन को खारिज करने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की जाती है।जिला न्यायाधीश **2008** के ए**.** एस**.** संख्या **1** पर विचार करेगा और कानून के अनुसार इसका शीघ्रता से निपटारा करेगा।**[**पारस **17-20] [648-E-H; 649-A-D-H; 650-A-B]**

बी.

सी.

डी.

ई.

फिज़ा डेवलपर्स एंड इंटर-ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड बनाम एएमसीआई (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा (2009) 17

एससीसी 796:[2009] 12 एस. सी. आर. 1; एमके ग्लोबल फाइनेंशियल

सर्विसेज लिमिटेड बनाम गिरधर सोंधी (2018) 9 एससीसी 49:

[2018] 10 एस**.** सी**.** आर**. 937-**संदर्भित।मामला कानून संदर्भ

एफ.

[2009] 12 एससीआर **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **6**

[2018] 10 एससीआर **937**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2019 की सिविल अपील संख्या 7544-7545।

बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 12.09.2014 से रिट याचिका संख्या 18374-18375 2010 (GM-RES) में

एच.

641

मेसर्स केनरा निधि लिमिटेड बनाम एम. शशिकल और अन्य ए

ए.

एस. एन. भट, प्रियंक जैन, डी. पी. चतुर्वेदी और तरुण ठाकुर, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सुश्री ई. आर. सुमती, प्रत्यर्थीगण की ओर से अधिवक्ता।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. भानुमति, जे.

बी.

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम) की धारा 34 के तहत आवेदन में पुरस्कार को दरकिनार करने की मांग करते हुए, क्या पक्ष अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट आधारों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं, यह सवाल इन अपीलों में विचार के लिए आता है।

सी.

3. ये अपीलें 2010 (जी. एम.-आर. ई. एस.) की रिट याचिका में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 12.09.2014 के फैसले से उत्पन्न होती हैं और जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया और जिला न्यायाधीश को "मुद्दों को फिर से तैयार करने" और प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को अपने गवाहों के हलफनामे दायर करने और गवाहों से जिरह की अनुमति देने का निर्देश दिया।

डी.

4. जिन संक्षिप्त तथ्यों के कारण ये अपीलें दायर की गईं, वे इस प्रकार हैं:- अपीलार्थी वित्तीय संस्थान है और अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को Rs.50,00,000/- का ऋण दिया और प्रत्यर्थी Nos.2,4 और 5 से 8 ऐसे ऋण के संबंध में गारंटर थे।ऋण स्वामित्व विलेख जमा करने के साथ एक बंधक द्वारा सुरक्षित किया गया था और कहा जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 ने ऋण के पुनर्भुगतान के लिए एक मांग वचन पत्र भी निष्पादित किया था।पक्षों के बीच विवाद को हल करने के लिए समझौते में एक मध्यस्थता खंड था।यह आरोप लगाया जाता है कि प्रथम प्रत्यर्थी ने ऋण का भुगतान नहीं किया और लेन-देन से उत्पन्न देनदारियों का

निर्वहन करने में विफल रहा।अपीलार्थी और प्रथम प्रत्यर्थी के बीच विवाद को तीसरे प्रत्यर्थी-मध्यस्थ को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।मध्यस्थ के समक्ष दोनों पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।मध्यस्थ ने 15.12.2007 दिनांकित एक निर्णय पारित किया और प्रत्यर्थीगणओं को Rs.63,82,802/- की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया, Rs.50 पर ब्याज के साथ, 11.08.2000 से प्रति वर्ष 14 प्रतिशत की दर से 00,000/- और Rs.52,959/- की लागत का भुगतान करने का निर्देश दिया।

ई.

एफ.

जी.

5. पुरस्कार स्वीकार करते हुए, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने मैंगलोर में जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अधिनियम की धारा 34 के तहत 2008 का ए. एस. संख्या 1 दायर किया।

एच.

जिला न्यायाधीश के समक्ष, प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने प्रत्यर्थीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत एक आवेदन दायर किया। अपीलार्थी ने उक्त आवेदन पर आपत्तियाँ दायर कीं।दिनांक 02.06.2010 के आदेश द्वारा, विद्वान जिला न्यायाधीश ने उक्त आवेदन को खारिज कर दिया।यह मानते हुए कि आवेदन में आग्रह किए गए आधारों को मध्यस्थता कार्यवाही के रिकॉर्ड और मध्यस्थता पुरस्कार का अध्ययन करके बहुत अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है, विद्वान जिला न्यायाधीश ने आगे कहा कि किसी भी स्थिति में, अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन में नए सबूत पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

बी.

6. सी. पी. सी. की धारा 151 के तहत अपने आवेदन को खारिज किए जाने से व्यथित, प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएं दायर कीं।उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय द्वारा रिट याचिकाओं को अनुमति दी और विद्वान जिला न्यायाधीश को "मुद्दों को फिर से तैयार करने" और प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को अपने गवाहों के हलफनामे दायर करने और गवाहों से जिरह करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।उल्लेख करने के बाद

सी.

फिज़ा डेवलपर्स एंड इंटर-ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड बनाम एएमसीआई (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड और एक अन्य (2009) 17 एससीसी 796 में निर्णय,

डी.

उच्च न्यायालय ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत आधारों के अस्तित्व को साबित करने के लिए, प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को अपने गवाहों के शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति है।विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि जिला न्यायाधीश द्वारा प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को अपने मामले को साबित करने के लिए अन्य गवाहों के अपने हलफनामे और हलफनामे दायर करने की अनुमति नहीं देना गलत है और कानून के तय किए गए सिद्धांतों के खिलाफ है।जैसा कि पहले बताया गया है, विद्वान जिला न्यायाधीश को "मुद्दों को फिर से तैयार करने" का निर्देश दिया गया था और नीचे दी गई अदालत को प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को अपने गवाहों के हलफनामे दायर करने की अनुमति देने और अपीलार्थी को हलफनामे द्वारा अपनी गवाही देने का अवसर देने का निर्देश दिया गया था।पीड़ित होने के कारण, अपीलार्थी ने इन अपीलों को प्राथमिकता दी है।इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से नोटिस का आदेश दिया और आगे आदेश दिया कि 2008 के ए. एस. नंबर 1 में कार्यवाही पर रोक लगाई जाएगी। 7.अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री एस. एन. भट ने विवादित फैसले पर जोर देते हुए कहा कि यह अच्छी तरह से तय है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है और उक्त कार्यवाही का दायरा बहुत सीमित है।यह प्रस्तुत किया गया था कि पुरस्कार की वैधता मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत सामग्री के आधार पर तय की जानी है और अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में अदालत के समक्ष नए साक्ष्य पेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय, वर्तमान ए में

ई.

एफ.

जी.

एच.

643

मेसर्स केनरा निधि लिमिटेड बनाम एम. शशिकल और अन्य [आर. भानुमती, जे.] ए.

मामला, फिज़ा डेवलपर्स में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुपात को गलत तरीके से पढ़ें।अन्य बातों के साथ-साथ यह भी आग्रह किया गया कि किसी भी स्थिति में, वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में नए साक्ष्य का

नेतृत्व करने की अनुमति के लिए कोई असाधारण आधार नहीं बनाया और विद्वान जिला न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 द्वारा साक्ष्य का नेतृत्व करने की अनुमति के लिए दायर आवेदन को सही ढंग से खारिज कर दिया।विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि उच्च न्यायालय ने अंतर्वर्ती आवेदन में निचली अदालत द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप करने में गलती की।

बी.

8. उच्च न्यायालय के विवादित फैसले के निष्कर्षों को दोहराते हुए, प्रत्यर्थी और 2 की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता सुश्री ई. आर. सुमती ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर आवेदन में बताए गए आधारों को साबित करने के लिए अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना आवश्यक है।यह प्रस्तुत किया गया था कि प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने अधिनियम की धारा 34 (2) (ए) के तहत गिने गए आधारों को साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग की थी। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पुरस्कार को रद्द करने के लिए आधार विशिष्ट हैं और इसलिए, आवश्यक रूप से प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को अधिनियम की धारा 34 (2) में उल्लिखित आधारों को साबित करना होगा और उसी को साबित करना होगा और उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए रिट याचिकाओं को उचित रूप से अनुमति दी।

सी.

डी.

ई.

9. अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है।अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में जांच का दायरा इस विचार तक सीमित है कि क्या धारा 34 (2) या धारा 13 (5) या धारा 16 (6) में उल्लिखित किसी भी आधार को पुरस्कार को रद्द करने के लिए बनाया गया है।पुरस्कार को अलग रखने के लिए आधार विशिष्ट हैं।मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए यह अनिवार्य है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता मामलों का निर्णय केवल मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष रखे गए अभिवचनों और साक्ष्य और अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत निर्दिष्ट आधारों के संदर्भ में किया जाना चाहिए।

एफ.

जी.

10. प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय मध्यस्थता (न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही) नियम, 2001, (कर्नाटक उच्च न्यायालय मध्यस्थता नियम) के नियम 4 (बी) को देखते हुए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की सभी

कार्यवाहियां ऐसी कार्यवाहियों पर लागू होंगी और इसलिए, उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को उचित रूप से अनुमति दी और प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को दायर करने की अनुमति दी।

एच.

644

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 15 एस सी आर।

उनके अपने शपथ पत्र और गवाहों के शपथ पत्र भी।कर्नाटक उच्च न्यायालय मध्यस्थता नियमों के नियम 4 (बी) में प्रावधान है कि सिविल प्रक्रिया संहिता की सभी कार्यवाहियां अधिनियम की धारा 14 या 34 के तहत दायर ऐसी कार्यवाही/आवेदन पर लागू होंगी, जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है।कर्नाटक उच्च न्यायालय मध्यस्थता नियमों के नियम 4 (बी), हमारे विचार में, केवल प्रक्रियात्मक हैं।फिज़ा डेवलपर्स में, सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक उच्च न्यायालय मध्यस्थता नियमों के नियम 4 (बी) पर ध्यान दिया और यह स्पष्ट किया कि अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में सिविल प्रक्रिया संहिता के सभी प्रावधानों का कोई थोक या स्वचालित आयात नहीं है क्योंकि यह मध्यस्थता अधिनियम, 1996 के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल कर देगा।

बी.

सी.

11. फिज़ा डेवलपर्स में, अदालत द्वारा विचार के लिए जो सवाल उठाया गया था, वह यह था कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XIV नियम 1 के तहत विचार किए गए मुद्दों को अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन में तैयार किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन में आदेश XIV नियम 1 सी. पी. सी. के तहत विचार किए गए मुद्दों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, जो कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की है।फिज़ा डेवलपर्स के पैरा (14), (17), (21) और (24) में यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः-

डी.

“14. संक्षिप्त कार्यवाही में, प्रत्यर्थी को अपनी आपत्तियां या लिखित बयान दायर करने का अवसर दिया जाता है।इसके बाद, अदालत पक्षों को अपने-अपने पक्ष के प्रमाण में शपथ पत्र दायर करने की अनुमति देगी, और यदि आवश्यक हो तो दलीलें सुनने से पहले दूसरे पक्ष द्वारा जिरह की अनुमति देगी।ऐसी कार्यवाहियों में मुद्दों को तैयार करना आवश्यक नहीं है।हम जल्दबाजी में यह जोड़ते हैं कि जब यह कहा जाता है कि मुद्दे आवश्यक नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सबूत आवश्यक नहीं है।

ई.

एफ.

.....

17. अधिनियम की योजना और प्रावधान न्यायालयों और मध्यस्थता से संबंधित दो महत्वपूर्ण पहलुओं का खुलासा करते हैं।पहला यह है कि मध्यस्थता से संबंधित मामलों में अदालतों द्वारा न्यूनतम हस्तक्षेप होना चाहिए।दूसरा, न्यायालय में लाए गए मध्यस्थता मामलों के संदर्भ में दिखाई गई तात्कालिकता की भावना है, जिसके निपटारे में शीघ्रता की आवश्यकता होती है।

जी.

.....

21. इसलिए हम तीन कारकों को ध्यान में रखते हुए विचार के लिए प्रश्न की जांच कर सकते हैं।पहला यह है कि अधिनियम ए है।

एच.

645

मेसर्स केनरा निधि लिमिटेड बनाम एम. शशिकल और अन्य [आर. भानुमती, जे.] ए.

विशेष अधिनियम और धारा 34 में एक विशेष उपचार का प्रावधान है।दूसरा यह है कि मध्यस्थता पुरस्कार को केवल धारा 34 की उप-धारा (2) में उल्लिखित आधारों में से एक पर अलग रखा जा सकता है।तीसरा यह है कि धारा 34 के तहत कार्यवाही को तेजी से निपटाया जाना चाहिए।

.....

बी.

24. दूसरे शब्दों में, अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन एक एकल मुद्दा कार्यवाही है, जहां यह तथ्य कि आवेदन उस विशेष प्रावधान के तहत स्थापित किया गया है, शामिल मुद्दे को घोषित करता है।मुद्दों को तैयार करने के लिए कोई भी आगे की कवायद केवल कार्यवाही में देरी करेगी।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदनों में मुद्दों को तैयार करने की आवश्यकता नहीं है।12. यद्यपि इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन संक्षिप्त कार्यवाही हैं, पीड़ित पक्ष को अधिनियम की धारा 34 (2) के तहत किसी भी आधार के अस्तित्व को साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। इस अदालत ने इस प्रकार आवेदक को अपने सबूत के रूप में

अपने गवाहों के हलफनामे दायर करने की अनुमति दी।फिज़ा डेवलपर्स के पैरा (31) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः-

सी.

डी.

31. अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन प्रतिवादी द्वारा आपत्तियों के प्रावधान के साथ संक्षिप्त कार्यवाही हैं, जिसके बाद आवेदक को धारा 34 (2) के तहत किसी भी आधार के अस्तित्व को "साबित" करने का अवसर मिलता है।आवेदक को सबूत के रूप में अपने गवाहों के शपथ पत्र दाखिल करने की अनुमति है।प्रतिवादी-प्रतिवादी को शपथ पत्र द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक संबंधित अवसर दिया जाता है।जहाँ मामला वारंट करता है, अदालत शपथ पत्र की शपथ लेने वाले व्यक्तियों से जिरह की अनुमति देती है।इसके बाद, अदालत दलीलें सुनती है और/या लिखित प्रस्तुतियाँ प्राप्त करती है और मामले का फैसला करती है।यह निश्चित रूप से नियमित प्रक्रिया है।न्यायालय किसी विशेष मामले के तथ्यों या स्थानीय नियमों के आधार पर उक्त प्रक्रिया को बदल सकता है।लेकिन जो बात स्पष्ट है वह यह है कि संहिता के आदेश 14 के नियम 1 के तहत विचार किए गए मुद्दों को तैयार करना अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

13. फिज़ा डेवलपर्स में फैसले का उल्लेख करने के बाद, विवादित फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को अपने और अपने गवाहों को दाखिल करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

एच.

अधिनियम की धारा 34 (2) (ए) में निर्धारित आधारों को साबित करने के लिए अपने मामले के प्रमाण में शपथ पत्र।

14. फिज़ा डेवलपर्स में निर्णय के बाद, धारा 34 को 2016 के अधिनियम 3 द्वारा संशोधित किया गया था जिसके द्वारा धारा 34 की उप-धाराओं (5) और (6) को प्रधान अधिनियम

डब्ल्यू. ई. एफ. में जोड़ा गया था।अधिनियम की धारा 34 की उप-धारा (5) और (6) निम्नानुसार हैः-

बी.

“34. मध्यस्थता पुरस्कार को अलग रखने के लिए आवेदन।—

(1)-(4) .....

(5) इस धारा के तहत एक आवेदन एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना जारी करने के बाद ही दायर किया जाएगा और इस तरह के आवेदन के साथ आवेदक द्वारा उक्त आवश्यकता के अनुपालन का समर्थन करने वाला एक हलफनामा होगा।

सी.

(6) इस धारा के तहत एक आवेदन का शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में, उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटान किया जाएगा जिस दिन उप-धारा (5) में निर्दिष्ट सूचना दूसरे पक्ष को दी जाती है।”

डी.

15. फिज़ा डेवलपर्स के फैसले पर न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्णा समिति द्वारा विचार किया गया था जिसने मध्यस्थता तंत्र के संस्थागतकरण की समीक्षा की और बताया कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही में सबूत प्रस्तुत करने के अवसर ने असंगत प्रथाओं को जन्म दिया है।उक्त समिति ने निम्नलिखित रूप में रिपोर्ट दीः-

ई.

“5. ए. सी. ए. की धारा 34 (2) (ए) में संशोधनःउप-धारा

(2)(क) ए. सी. ए. की धारा 34 में कुछ परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा मध्यस्थता पुरस्कारों को अलग करने का प्रावधान है।मध्यस्थता पुरस्कार को रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले पक्ष को अदालत को सबूत प्रस्तुत करना होगा।सबूत प्रस्तुत करने की इस आवश्यकता ने कुछ उच्च न्यायालयों में असंगत प्रथाओं को जन्म दिया है, जहां उन्होंने धारा 34 की कार्यवाही को एक नियमित दीवानी मुकदमे के रूप में संचालित करने पर जोर दिया है।यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद है।

एफ.

फिज़ा डेवलपर्स एंड इंटर-ट्रेड (पी) लिमिटेड बनामएएमसीआई (भारत)

(पी) लिमिटेड (2009) 17 एस. सी. सी. 796 कि धारा 34 के तहत कार्यवाही सी. पी. सी. के आदेश 14 के नियम 1 के तहत मुद्दों को तैयार करने के साथ दीवानी मुकदमों के समान तरीके से नहीं की जानी चाहिए।

जी.

इसके आलोक में, समिति का विचार है कि धारा 34 (2) (ए) में एक उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि धारा 34 के तहत कार्यवाही तेजी से की जा रही है।

एच.

647

मेसर्स केनरा निधि लिमिटेड बनाम एम. शशिकल और अन्य [आर. भानुमती, जे.] ए.

ए.

अनुशंसाः मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 (2) (ए) में एक संशोधन किया जा सकता है, जिसमें 'इस बात का प्रमाण देता है कि' शब्दों के साथ 'मध्यस्थ न्यायाधिकरण के रिकॉर्ड के आधार पर स्थापित होता है कि' शब्दों को प्रतिस्थापित किया जा सकता है।"

[न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट में उद्धृत

बी.

एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड बनामगिरधर सोंधी **(2018) 9** एस**.** सी**.** सी**. 49]**

16. न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट के आधार पर, मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा प्रधान अधिनियम की धारा 34 में निम्नलिखित संशोधन किया गया हैः-

सी.

"7. धारा 34 का संशोधन।—मूल अधिनियम की धारा 34 में, उप-धारा (2) में, खंड (ए) में, "प्रस्तुत करता है" शब्दों के लिए

इस बात का प्रमाण कि "शब्द" मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अभिलेख के आधार पर स्थापित होते हैं कि "प्रतिस्थापित किए जाएंगे।**"**

17. न्यायमूर्ति बी. एन. श्रीकृष्ण समिति की रिपोर्ट और अन्य निर्णयों का उल्लेख करने और यह देखने के बाद कि फिजा डेवलपर्स में निर्णय को अधिनियम की धारा 34 (5) और धारा 34 (6) में किए गए संशोधन और मध्यस्थता की धारा 34 में संशोधन के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।

डी.

सोंधी (2018) 9 एस. सी. सी. 49, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया थाः- "21. इस प्रकार यह देखा जाएगा कि मध्यस्थता विवादों का त्वरित समाधान 1996 के अधिनियम को लागू करने का कारण रहा है, और उपरोक्त उद्देश्य को मजबूत करने के लिए उक्त अधिनियम में संशोधन जोड़ने का कारण बना हुआ है।स्पष्ट रूप से, यदि मुद्दों को तैयार किया जाता है और धारा 34 के तहत संक्षिप्त कार्यवाही में मौखिक साक्ष्य लिया जाता है, तो यह उद्देश्य विफल हो जाएगा।यह भी माना जा रहा है कि यदि 2018 का विधेयक संख्या 100 पारित हो जाता है, तो धारा 34 के आवेदन के स्तर पर साक्ष्य को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा।कानून की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, हमारा विचार है कि संदीप कुमार बनाम अशोक हंस 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 106, सियाल बायोएनर्जी बनाम एस. बी. ई. सी. सिस्टम्स 2004 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 863 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दो शुरुआती फैसले, जो हमारे द्वारा ऊपर उद्धृत किए गए हैं, धारा 34 (2) (ए) के तहत सबूत प्रस्तुत करने के बारे में कानून की स्थिति को सही ढंग से दर्शाते हैं।कलकत्ता उच्च न्यायालय भी ऐसा ही करता है।

ई.

एफ.

जी.

वेब टेक्निक्स एंड नेट सॉल्यूशंस (पी) लिमिटेड बनामगति

लिमिटेड 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 4271।हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि अगर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

एच.

पंजाब एस. आई. डी. सी. लिमिटेड बनाम.सुनील के. कंसल 2012 एससीसी

ऑनलाइन पी एंड एच 19641 का पालन किया जाना है, उल्लंघन में अधिकांश मामलों में केवल एक वर्ष की समय-सीमा का पालन किया जाएगा।इसलिए हम उक्त निर्णय को खारिज करते हैं।हम यह देखने के लिए विवश हैं कि फिज़ा डेवलपर्स सही दिशा में एक कदम था क्योंकि इसका अंतिम अनुपात यह है कि धारा 34 आवेदन की सुनवाई के चरण में मुद्दों को उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो कि एक संक्षिप्त प्रक्रिया है।हालाँकि, इस निर्णय को अब धारा 34 (5) और 34 (6) में किए गए संशोधन के आलोक में पढ़ा जाना चाहिए।इसलिए पढ़ें, हम यह कहते हुए कानूनी स्थिति को स्पष्ट करते हैं कि मध्यस्थता पुरस्कार को अलग करने के लिए एक आवेदन के लिए सामान्य रूप से मध्यस्थ के समक्ष रिकॉर्ड से परे कुछ भी

आवश्यक नहीं होगा।हालाँकि, यदि ऐसे मामले ऐसे रिकॉर्ड में निहित नहीं हैं, और धारा 34 (2) (ए) के तहत उत्पन्न होने वाले मुद्दों के निर्धारण के लिए प्रासंगिक हैं, तो उन्हें दोनों पक्षों द्वारा दायर हलफनामों के माध्यम से न्यायालय के ध्यान में लाया जा सकता है।शपथ-पत्रों की शपथ लेने वाले व्यक्तियों से जिरह की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो, क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा दायर शपथ-पत्रों को पढ़ने पर सच्चाई सामने आएगी।इसलिए, हम दिल्ली उच्च न्यायालय के गिरधर सोंधी बनाम एमके ग्लोबल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड 2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12758 के फैसले को दरकिनार करते हैं और दिनांक 22-9-2016 के विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के फैसले को बहाल करते हैं।तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है जिसमें लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होता है।"

बी.

सी.

डी.

ई.

इस प्रकार कानूनी स्थिति को स्पष्ट किया जाता है कि धारा 34 के आवेदन में सामान्य रूप से मध्यस्थ के समक्ष रिकॉर्ड से परे कुछ भी आवश्यक नहीं होगा और शपथ पत्रों में शपथ लेने वाले व्यक्तियों से जिरह की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि बिल्कुल आवश्यक न हो।

एफ.

18. विचार के लिए प्रश्न यह है कि क्या वर्तमान मामला इतनी असाधारण परिस्थिति है कि प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 को शपथ पत्र दायर करने और गवाहों से जिरह करने का अवसर देना आवश्यक था।धारा 151 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन के साथ प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर हलफनामे से यह संकेत नहीं मिलता है कि पहला प्रत्यर्थी किस बिंदु पर प्रस्तुत करना चाहता है, सिवाय इसके कि पहला प्रत्यर्थी विवाद के विषय से संबंधित अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है।हलफनामा विशिष्ट दस्तावेजों या प्रस्तुत किए जाने के लिए आवश्यक साक्ष्य का खुलासा नहीं करता है, सिवाय इसके कि पहला प्रत्यर्थी अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का इरादा रखता है या अन्यथा पहला प्रत्यर्थी दायर मध्यस्थता मुकदमे में कठिनाई के अधीन होगा।

जी.

एच.

अधिनियम की धारा 34 के तहत उसके द्वारा। जैसा कि अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता ने सही तर्क दिया कि पेश किए जाने के लिए मांगे गए अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता और प्रासंगिकता के बारे में हलफनामे में कोई विशिष्ट कथन नहीं हैं।

19. पुरस्कार के अवलोकन से, यह देखा जाता है कि मध्यस्थ के समक्ष, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपना लिखित बयान दायर किया और अन्य प्रत्यर्थीगणओं ने भी अलग-अलग लिखित बयान दायर किए।यह तर्क दिया गया कि दस्तावेज जाली थे।दोनों पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।अपीलार्थी ने दो गवाहों बालकृष्ण नायक (पीडब्लू-1) और बी. ए. बालिगा (पीडब्लू-2) से पूछताछ करके साक्ष्य का नेतृत्व किया और पी1 से पी47 तक के दस्तावेजों का प्रदर्शन किया।प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने पाँच गवाहों से भी पूछताछ की। एम. शशिकल (आरडब्ल्यू-1), ममता @मुमताज हमीद (आरडब्ल्यू-2), लता (आरडब्ल्यू-1)3), चित्रलेखा उमेश (आरडब्ल्यू-4) और बी. आर. नागेश (आरडब्ल्यू-5)।प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने R13 के लिए दस्तावेजी साक्ष्य Ex.-R1 भी प्रस्तुत किया।जैसा कि जिला न्यायाधीश द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, आवेदन में आग्रह किए गए आधारों पर मध्यस्थता कार्यवाही में प्रस्तुत साक्ष्य और मध्यस्थता पुरस्कार पर विचार करके बहुत अच्छी तरह से विचार किया जा सकता है।इसके अलावा, प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए दायर आवेदन में, साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता और प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 द्वारा दिए गए साक्ष्य की प्रकृति के बारे में कोई आधार नहीं बनाया गया था।अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्यवाही संक्षिप्त कार्यवाही है और नियमित मुकदमे की प्रकृति में नहीं है।अधिनियम की धारा 34 में उप-धारा (5) और (6) जोड़कर, अधिनियम ने अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन के निपटारे के लिए एक वर्ष की समय अवधि निर्दिष्ट की है। मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत दायर मामले के निपटारे के लिए समय सीमा तय करने के लिए धारा 34 की उप-धारा (5) और (6) का उद्देश्य विलंब से बचना और आवेदन का शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर निपटान करना है, जिसकी तारीख से अधिनियम की धारा 34 (5) में निर्दिष्ट नोटिस दूसरे पक्ष को दिया जाता है।मध्यस्थता कार्यवाही में, पक्षों के पास मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर था।उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान में नहीं रखा कि प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 ने यह आधार नहीं बनाया है कि उन्हें अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति देना एक असाधारण मामला है। उच्च न्यायालय के उक्त निर्देश मध्यस्थ द्वारा तय किए गए मुद्दों के गुण-दोष के आधार पर पुनः सुनवाई के बराबर हैं।जब प्रत्यर्थी Nos.1 और 2 द्वारा दायर आवेदन को खारिज करने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश में विकृति नहीं है, तो उच्च न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, ऐसा करना चाहिए।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

650

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 15 एस सी आर।

जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश में हस्तक्षेप न करना और विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है।

20. परिणामस्वरूप, 2010 (जी. एम.-आर. ई. एस.) की रिट याचिका Nos.18374-75 में बैंगलोर में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 12.09.2014 के विवादित फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है और इन अपीलों की अनुमति दी जाती है।2008 के ए. एस. नं. 1 में धारा 151 सी. पी. सी. के तहत दायर आवेदन को खारिज करने वाले जिला न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की जाती है।विद्वान जिला न्यायाधीश 2008 के ए. एस. संख्या 1 पर विचार करेगा और कानून के अनुसार इसका शीघ्रता से निपटारा करेगा।कोई लागत नहीं।

बी.

सी.

दिव्या पांडे

अपीलों की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.